रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एच.)-127 REGISTERED NO D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 519] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 14, 1987/आश्विन 22, 1909
No. 519] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 14, 1987/ASAVINA 22, 1909

केन्द्रीय सचिवालय ग्रन्थालय
CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVT OF INDIA

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 1987

अधिसूचना

का. आ. 919(अ).—केन्द्रीय सरकार, व्यय-कर अधिनियम, 1987 (1987 का 35) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 नवम्बर, 1987 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा ।

[सं. 7585 फा. सं. 143/1/87-टी. पी. एल.]

के. सरकार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

Central Board of Direct Taxes

New Delhi, the 14th October, 1987

NOTIFICATION

S. O. 919 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Expenditure-tax Act, 1987 (35 of 1987), the Central Government hereby appoints the 1st day of November, 1987 as the date on which the said Act shall come into force.

[No. 7585|F. No. 143|1|87 TPL]

K. SARKAR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1987